



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. ९८०।  
No. ९८०।नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई १४, २००८/आषाढ़ २३, १९३०  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2008/ASADHA 23, 1930

महिला एवं बाल विकास प्रशासन

अधिसूचना

नई दिल्ली, १४ जुलाई, २००८

क्र.अ. १६८८(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० (१९९० का २०) की धारा ३ के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा नियमित्तिका को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित करती है :

१. श्रीमती नीवा कंवर, राजिमणो गांव, गुवाहाटी-२२, जिला कामरुप, असम।
२. श्रीमती यास्मीन अबरार, २५, साडथ एवेन्यू, नई दिल्ली।
२. श्रीमती नीवा कंवर तथा श्रीमती यास्मीन अबरार पदभार ग्रहण करने की तारीख से हीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगी।

[फा. सं. ९-२/२००८-डब्ल्यू-डब्ल्यू]

पी. बोलीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND  
CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1688(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates the following persons as Members of National Commission for Women :

1. Smt. Neeva Konwar, Rukmini Gaon, Guwahati-22, Distt. Kamrup, Assam.
2. Mrs. Yasmeen Abrar, 25, South Avenue, New Delhi.

2. Smt. Neeva Konwar and Mrs. Yasmeen Abrar shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9-2/2008-WW]

P. BOLINA, Jt. Secy.